(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर (भीलवाडा)

खेमा पिता भैरू गुर्जर नि. हरसलो का खेडा

बनाम

पप्पु सिंह पिता भवानी सिंह राजपूत नि. हरसलो का खेडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 558/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
07.6.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम हरसलो का खेडा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 233/3, रकबा 0.7236 हैक्टेयर तथा आ.न. 125/3, 237/4, 238/1, 307/2, 41/2 कुल किता 5 रकबा 0.9072 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम हरसलो का खेडा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 233/3, रकबा 0.7236 हैक्टेयर तथा आ.न. 125/3, 237/4, 238/1, 307/2, 41/2 कुल किता 5 रकबा 0.9072 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 07.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर (भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 558 / 2023 दिनांक :– 7-6 .2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 558/23 अनवान खेमा पिता भैरू गुर्जर नि. हरसलो का खेडा बनाम पप्पू सिंह पिता भवानीसिंह राजपूत, भैरू पिता नाथु गुर्जर, जगन्नाथ पिता रावता गुर्जर, बैनाथ पिता रावता गुर्जर, हरचन्दा पिता गोरू गुर्जर, हरी पिता गिरधारी गुर्जर, प्रभु पिता श्रीराम गुर्जर, उदा पिता उर्जा गुर्जर, उगामा पिता गोरू गुर्जर, गोपाल पिता खाना गुर्जर, सोजी पिता लाला गुर्जर, मोकम पिता दीपा गुज्रर, भैरू पिता धन्ना गुर्जर नि. हरसलो का खेडा वगैराह वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम हरसलो का खेडा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 233/3, रकबा 0.7236 हैक्टेयर तथा आ. न. 125/3, 237/4, 238/1, 307/2, 41/2 कुल किता 5 रकबा 0.9072 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

न्यायालय जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा

खेमा पुत्र भैरू गुर्जर जाति गुर्जर उम्र–48वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

– – प्रार्थी

:– बनाम :–

1. पप्पू सिंह पिता भवानी सिंह जाति राजपूत उम्र–42वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
2. भैरू पिता नाथू गुर्जर जाति गुर्जर उम्र–28वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
3. जगन्नाथ पिता रावता गुर्जर जाति गुर्जर उम्र–60वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
4. बैनाथ पिता रावता गुर्जर जाति गुर्जर उम्र–62वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
5. हरचन्दा पिता गौरू जाति गुर्जर उम्र–55वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
6. हरी पिता गिरधारी जाति गुर्जर उम्र–40वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
7. प्रभू पिता श्रीराम जाति गुर्जर उम्र–42वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
8. उदा पिता ऊर्जा जाति गुर्जर उम्र–45वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
9. उगामा पिता गौरू जाति गुर्जर उम्र–70वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
10. गोपाल पिता खाना जाति गुर्जर उम्र–40वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

.........2

खेमा

11. सोजी पिता लाला जाति गुर्जर उम्र–42वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

12. मोकम पिता दीपा जाति गुर्जर उम्र–70वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

13. भैरू पिता धन्ना जाति गुर्जर उम्र–45वर्ष निवासी–हरसलों का खेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

14. श्रीमान् तहसीलदार साहब जहाजपुर जिला–भीलवाड़ा

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट वास्ते पत्थरगढ़ी

महोदय जी,

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र पेश कर सादर निवेदन है कि:—

1. यह है कि ग्राम–हरसलों का खेड़ा, पटवार हल्का भगुनगर, भू अभिलेख नि. अमरगढ़, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा में प्रार्थी की भूमि आराजी संख्या 223/3 रकबा 0.7236, आराजी संख्या 125/3 रकबा 0.3456, आराजी संख्या 237/4 रकबा 0.0432 आराजी संख्या 238/1 रकबा 0.2376, आराजी संख्या 307/2 रकबा 0.2052, आराजी संख्या 41/2 रकबा 0.0756 हैक्टेयर कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में साखातेदारी में दर्ज होकर स्थित होकर कब्जे कास्त है।

2. यह है कि पेरा नं. एक में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 से 13 तक पड़ोसी है जो आये दिन अपनी भूमि की सही जानकारी नहीं रखने के कारण मौके पर अनावश्यक विवाद करते रहते हैं प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य अपनी सीमाओं को लेकर अनावश्यक विवाद के कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है ऐसा आवश्यक व न्यायसंगत हैं।

3. यह है कि प्रार्थी के खेत के पडोसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि से मिलाने पर आमदा है तथा सीमा ज्ञान के चिन्हो को धीरे–धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे–कास्त की आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी की आराजी के पडौसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतों में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो।

........3

रवेमा

4. यह है कि मैं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को उन्नत एवं विकसित करना चाहता हूँ जिस हेतु पत्थरगढ़ी होना न्यायोचित है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र नियमानुसार तलवाना शुल्क व कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र के पेरा नं. एक में वर्णित कृषि भूमि की चतुर्थ सीमा की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमावें।

रवीना

हस्ताक्षर प्रार्थी

दिनांकः–

अधिकार-पत्र

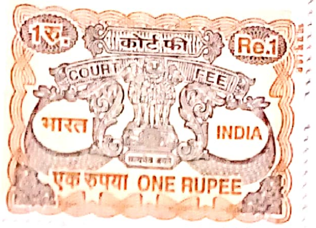

सेवामें श्रीमान्...

....

____________________ प्रति पक्षी ____________________

____________________ ____________________

.... आवेदन वादी प्रतियोगी अपीलांट   विरोधी प्रतिवादी अभियुक्त रिस्पाडन्ट

आवेदन / वाद / अभियोग पत्र
अपील निगरानी कार्यवाही

प्रकरण सं.   सन्

उपयुक्त प्रकरण की कार्यवाही करने हेतु न्यायालय / कार्यालय.. तक मैं / हम

....

....

अपनी ओर से श्रीयुक्त...

का अधिकार देता हूं / देते हैं कि उक्त वकील महोदय इस प्रकरण में मेरी / हमारी ओर से वाद पत्र / प्रतिवाद पत्र शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करें, प्रमाणित करें, तामील करे, सवाल जवाब बहस जिरह करे गवाह सबूत पेश कर तलब करे प्रार्थना–पत्र अपील एवं प्रतिलिपियां प्रेषित करे या राजीनामा या आपसी फैसला करावे या करे रकम लेकर ट्रेजरी चालान चेक ड्राफ्ट बोण्ड दस्तावेज आदेश की प्रतिलिपियां प्राप्त करे, रसीद देवे श्रीमान् के यहां से कोई भी कागजात हिसाब किताब फार्म डिक्लेरेशन फार्म Returns आदि प्राप्त या पेश करे तथा Assesment करावे पंच निर्णय व हकरसी मुकदमा उठा लेवे या अन्य वकील नियुक्त करें और जो भी आवश्यक कानूनी कार्यवाही इस प्रकरण के सम्बन्ध में हो करावेगें या करे तो प्रत्येक दशा में मुझे / हमें स्वीकार होगी इसके अतिरिक्त वकील महोदय किसी आवश्यक कारण या बीमारी की वजह से पैरवी मुकदमा न कर सके तो मुझे / हमें एतराज न होगा। इस कार्यवाही के लिए उपरोक्त वकील साहब के पारिश्रमिक   ) अक्षरे...देना तय हुआ सो मुझें / हमें स्वीकार है। पारिश्रमिक जैसे–जैसे देता रहूंगा / रहेगें वैसे–वैसे रसीद प्राप्त करता रहूंगा / करते रहेंगे।

रवेमा

दिनांक   माह   सन्

(हस्ताक्षर अधिकार देने वाला / देने वाले)
अधिकार पत्र देने वाले को स्वयं मैं पहिचानता अथवा अधिकार पत्र देने वाला / वाले वही व्यक्ति है जिसके लिए मैंने विश्वास कर लिया है।

पैरवी स्वीकार है

हस्ताक्षर वकील

ता.   मा.   सन्